भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *185

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

छोटे किसानों के लिए ऋण खातों में भारी गिरावट

*185. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सीमांत एवं छोटे किसानों के कृषि ऋण खातों की समग्र संख्या में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंक कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण के संवितरण में केवल विकसित क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'छोटे किसानों के लिए ऋण खातों में भारी गिरावट' के संबंध में श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा पूछे गए दिनांक 9.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *185 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): विगत तीन वर्ष में छोटे और सीमांत किसानों से जुड़े खातों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसे निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

वर्ष	छोटे और सीमांत किसानों के कृषि ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)
2021-22	11.67
2022-23	12.38
2023-24	13.06

स्रोत: नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए कृषि ऋण के आंकड़े

(ग) और (घ): कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं**:-**

1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि बैंक अपने कुल ऋण का 18% कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्र को प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, कृषि ऋण के कुल लक्ष्य में से छोटे और सीमांत किसानों के लिए उप लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान में 10% है। इसके अतिरिक्त, पीएसएल दिशानिर्देशों में तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढांचा और तुलनात्मक रूप से अधिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार वाले ऋण प्रवाह, जिनमें कृषि और छोटे व सीमांत किसानों को दिया गया ऋण भी शामिल है, के लिए गैर-प्रोत्साहन ढांचा भी निर्धारित किया है।
2. कृषि के लिए बुनियादी स्तर के ऋण (जीएलसी) के भाग के रूप में क्षेत्रीय लक्ष्य प्रदान किए गए हैं ताकि कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन संबंधी कार्यकलापों को ऋण प्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार इन कार्यकलापों के लिए भी उप-लक्ष्य निर्धारित करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 27.50 लाख करोड़ रुपए के कुल कृषि ऋण लक्ष्य में से इन कार्यकलापों के लिए 4.20 लाख करोड़ रुपए का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पीएम किसान लाभार्थियों, मत्स्यपालक और डेयरी किसानों सहित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) परिपूर्णता अभियान आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, केसीसी योजना के अंतर्गत मत्स्यपालकों, पशुपालक और डेयरी किसानों को अधिकतम संख्या में कवर करने के लिए सरकार ने पहले से चल रहे

केसीसी परिपूर्णता अभियान के अंतर्गत 15 नवंबर, 2021 से एक विशिष्ट साप्ताहिक जिला स्तरीय अभियान आरंभ किया है।

4. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों), जो प्रमुख रूप से देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में परिचालनरत हैं, को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि किए गए हैं।
5. आरबीआई की अग्रणी बैंक योजना के भाग के रूप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तैयार करती है और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, ग्रामीण अवसंरचना, अन्य सहायक सेवाओं आदि के अंतर्गत संभावित बैंक ऋण के संबंध में व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत करती है और विभिन्न मंचों, जैसे एसएलबीसी, ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी), जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) आदि से एसीपी के अंतर्गत उपलब्धियों की निगरानी की जाती है।
6. सरकार ग्रामीण अवसंरचना सृजन में सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत सहायता आबंटित करती है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के उपयोग की क्षमता सृजित करती है।
7. वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से सहायता हेतु अलग-अलग कार्यनीति तैयार की गई है, जिसमें पिछड़े जिलों, जो विभिन्न भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के कारण पिछड़े हुए हैं, पर अधिक ध्यान दिया गया है। वित्तीय संस्थान वित्तीय साक्षरता शिविरों, ग्राहक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता फैला रहे हैं।

*****